

नाम पीठासीन अधिकारी - श्री गोपाललाल स्वर्कार उपखण्ड अधिकारी सागावाडा

प्रकरण संख्या - /2018(राजस्व वाद)

दायर दिनांक - 3.4.2018

निर्णय दिनांक - 3.4.2018

अनवान
तहसीलदार
बनाम
कषकनाण
सागावाडा
टामटीया

निर्णय

तहसीलदार सागावाडा की ओर से प्रकरण इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि ग्राम टामटीया जमाबन्दी संवत् 2071-74 के खसरा नम्बर 4003/3681,4005/3934,4007/3692,4008/3697,4009/3700,4010/3703,4011/3709, 4012/3714,4013/3715,4014/3731,4015/3737,4016/3762,4017/3780,4018/3808 4019/3867,4026/3884आवदन/नियमन/बंटवारा के समय में जमाबन्दी व नख्या में तीन डीजीट में नामान्तरकरण दर्ज कर तस्वीम किए गए है।

वक्त चौसाला जमाबन्दी बनते समय कम्प्यूटर द्वारा दो डिजिट में ही खसरा का इन्दाज लेने से हुई अटियों को वर्तमान जमाबन्दी व नख्या में एकरत किए जाने का आदेश हेतु निवेदन किया गया है।

तहसीलदार सागावाडा द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाद प्रकृति का होकर राज0मार्ग10 अधिनियम की धारा 136 की श्रेणी का होने से प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं रिपोर्ट का अवलोकन किया गया।

तहसीलदार सागावाडा द्वारा प्रार्थना पत्र के तथ्यों की पुष्टि करते वांछित संशोधन के लिए अपनी स्वीकाराविक्र प्रदान की है। अतः तहसीलदार सागावाडा का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वांछित संशोधन के आदेश दिए जाते है।

निर्णय आज दिनांक 3.4.2018 को सुनाया गया। आदेशानुसार तहसीलदार सागावाडा को पालनाथ लिखा जाकर पत्रावली फ़ैसल शुमार हो, नम्बर से कम हो।

(गोपाललाल स्वर्कार)
उपखण्ड अधिकारी
सागावाडा